रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2009/चैत्र 27, 1931 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 12
No. 56] DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2009/CHAITRA 27, 1931 [N.C.T.D. No. 12

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 अप्रैल, 2009

फा. सं. आर-391/टीओ(एस)/टीसी/गिराना/2008-09/91-100.—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अतः, अब, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के उपबंधों से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बदरपुर एलिवेटिड राजमार्ग के निर्माण के लिए 5.56 हैक्टेयर क्षेत्रफल को छूट प्रदान करती है, जोकि 737 वृक्षों को काटने तथा 65 वृक्षों के प्रत्यारोपण से संबंधित है । यह छूट निम्न शर्तों के साथ लागू है :—

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले 802 वृक्षों को हटाये जाने के स्थान पर उप-वन संरक्षक (दक्षिण) तथा वन एवं वन्य जीव विभाग के साथ असोला वन्य जीवन अभ्यारण्य में किये जाने वाले 7,200 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण की अनुमानित समस्त लागत जमा करेगी ।

2. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सी. आर. बाबू द्वारा यथाप्रस्तावित वृक्षों की जातियों के 800 पौधों का बकाया क्षतिपूरक वृक्षारोपण हवाई अड्डा से शहर को आने वाले राजमार्ग के आसपास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र में प्रसिद्ध परामर्शदाता के द्वारा लगाये जायेंगे तथा उनके द्वारा ही पाँच वर्ष तक इनका अनुरक्षण किया जायेगा ।

3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सुनिश्चित करेगी कि काटे गए वृक्षों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा चलाये जाने वाले लोक शवदाह में प्रयोग की जाएगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

जे. के. दादू, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 17th April, 2009

No. R-391/TO(S)/TC/Felling/08-09/91-100.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts of area of 5.56 Ha. for construction of Badarpur Elevated Highway by National Highways Authority of India from the provisions of sub-section (3) of Section 9 of the said Act, involving felling of 737 trees and transplanting of 65 trees subject to the conditions that :

1. NHAI shall deposit entire amount of the estimated cost of compensatory plantation of 7200 saplings of tree species to be carried out at Asola Wildlife Sanctuary with the Dy. Conservator of Forests (South), Department of Forests and Wildlife against removal of 802 trees affected by the Project.

2. Remaining compensatory plantation of 800 saplings of ornamental tree species as recommended by Prof. C.R. Babu of Delhi University, shall be carried out by NHAI in the vicinity of the Highway leading from the Airport to the City by engaging a reputed Consultant for the purpose and shall maintain the same for five years at their cost.

3. NHAI shall hand over the wood arising out of felling of trees to the officials of MCD/NDMC for its use in public crematoria in Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

J. K. DADOO, Secy.

कार्यालय आबकारी आयुक्त

अधिसूचना

दिल्ली, 17 अप्रैल, 2009

फा. सं. 10(56)/96-97/आई.एम.एफ.एल./आब./338-54.—दिल्ली शराब नियमावली, 1976 के नियम 33 के उप-नियम (12) के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोक सभा के आम चुनावों के कारण निम्नलिखित तारीखों/दिवसों को मद्य-निषेध दिवसों के रूप में घोषित किया जाता है जो कि सभी एल-1, एल-1ए, एल-1एफ, एल-2, एल-2ए, एल-2एफ, एल-2एफई, एल-2एफजी, एल-4, एल-4बी, एल-4एफ, एल-5, एल-5ए, एल-5बी, एल-5एफ, एल-6, एल-6ए, एल-7, एल-7एफ, एल-9, एल-10, एल-11, एल-12, एल-15, एल-16, एल-17, एल-19, एल-19ए, एल-19एफ, एल-20, एल-49ए, एल-52, एल-52एफई, एल-52एफजी, एल-53, सीएलडब्ल्यू-1, एफएलडब्ल्यू-2, एच-1(भांग) और अफीम की दुकानों पर लागू होगा ।

क्रम संख्या	दिनांक	दिन
1.	5-5-2009 (सायं 5 बजे से)	मंगलवार
2.	6-5-2009	बुधवार
3.	7-5-2009 (सायं 5 बजे तक)	बृहस्पतिवार
4.	16-5-2009 मतगणना दिवस	शनिवार

इस प्रशासन की दिनांक 30-12-2008 की अधिसूचना संख्या एफ. 10 (56) 96-97/आई.एम.एफ.एल./आब./7727-42 के अनुसार मद्य-निषेध दिवसों के अलावा उपर्युक्त दिन मद्य-निषेध दिवस होंगे ।

आर. एम. पिल्लै, आबकारी आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE

NOTIFICATION

Delhi, the 17th April, 2009

F. No. 10 (56)/96-97/IMFL/Ex./338-354.—In pursuance of the provision of sub-rule (12) of Rule-33 of the Delhi Liquor Licence Rules, 1976, it is hereby ordered that the following dates/days shall be observed as "Dry Days" on account of general elections to Lok Sabha 2009 by all L-1, L-1A, L-1F, L-2, L-2A, L-2F, L-2FE, L-2FG, L-4, L-4B, L-4F, L-5, L-5A, L-5B, L-5F, L-6, L-6A, L-7, L-7F, L-9, L-10, L-11, L-12, L-15, L-16, L-17, L-19, L-19A, L-19F, L-20, L-49A, L-52, L-52FE, L-52FG, L-53, CLW-1, FLW-2, H-1 (Bhang) licensees and opium vends located in Delhi.

1. From 5.00 P.M. on 5-5-2009 (Tuesday) to 7-5-2009 (Thursday) upto 5.00 P.M.

And

2. On the counting day i.e. on 16-5-2009 (Saturday).

The above shall be observed as "Dry Days" in addition to the Dry Days notified *vvide* Notification No. F-10(56)96-97/IMFL/Excise/7727-42 dated 30-12-2008.

R. M. PILLAI, Commissioner

गृह (पुलिस-II) विभाग

आदेश

दिल्ली, 17 अप्रैल, 2009

फा. सं. 2/1/88/गृ.पु.-II/खण्ड/2043.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है;

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19-4-2009 से 18-7-2009 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं;

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

ORDER

Delhi, the 17th April, 2009

F. No. 2/1/88/HP-II/Part/2043.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period 19.04.2009 to 18-7-2009, the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub-section (2) of Section 3 of the aforesaid Act.

सं. फा. 8/269/2002/गृ.पु.-II/पार्ट/2062.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (1999 का महाराष्ट्र अधिनियम संख्या XXX) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल श्री विकास सिंह, तत्कालीन सोलीसीटर जनरल, विशेष अभियोजक के रूप में, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (1999 का महाराष्ट्र अधिनियम संख्या XXX) की धारा 3(ii) तथा 3(iv) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 387/506/120-ख/201 के अधीन दिनांक 4-4-2002 के मामला एफआईआर संख्या 88 थाना ग्रेटर कैलाश दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ओर से विशेष न्यायालय सं. 1 में दिनांक 1-6-2007 की अधिसूचना सं.11/21/2000/गृह-II/5172 के अनुसार की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हैं ।

No. F. 8/269/2002/HP/II Pt./2062.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (Maharashtra Act No. XXX of 1999), as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby cancels the appointment of Sh. Vikas Singh, the then Additional Solicitor General, Government of India as Special Public Prosecutor to conduct the case FIR No. 88 dated 4-4-2002 under Section 387/506/120-B/201 IPC read with Section 3(ii) and 3(iv) Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (Maharashtra Act No. XXX of 1999), PS Greater Kailash, Delhi on behalf of the Government of National Capital Territory of Delhi in Special Court No.1, made *vide* this Government's notification No. F. 11/21/2000/HP-II/5172, dated 1-6-2007 with immediate effect.

सं. फा. 08/269/2002/गृ.पु.-II/पार्ट/2068.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20-3-1974 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल श्री विकास सिंह, तत्कालीन सोलीसीटर जनरल, भारत सरकार विशेष अभियोजक के रूप में तथा जो एम. युनूस मलिक, अधिवक्ता उनके कनिष्ठ के रूप में निम्नलिखित मामलों के संचालन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से दिनांक 6-1-2006 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हैं ।

1. मामला एफआईआर नं. 88 दिनांक 4-4-2002 की उप-धारा 387/506/120-ख/201 दंड प्रक्रिया संहिता के साथ पठित 3(ii), 3(iv) मकोका अधिनियम, 1999 थाना ग्रेटर कैलाश दिल्ली (विशेष शाखा द्वारा जाँच) ।
2. मामला एफआईआर नं. 39 दिनांक 26-7-2002 की उप-धारा 120-बी दंड प्रक्रिया संहिता के साथ पठित थाना विशेष शाखा दिल्ली ।
3. मामला एफआईआर नं. 850 दिनांक 3-11-1998 की उप-धारा 120-बी दंड प्रक्रिया संहिता के साथ पठित 384-दंड प्रक्रिया संहिता, थाना हौज खास (अपराध शाखा) दिल्ली ।

No. F. 8/269/2002/HP-II/Pt./2068.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No.11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby cancels the appointment of Shri Vikas Singh, the then Additional Solicitor General, Government of India as Special Public Prosecutor and Shri M. Yunus Malik, Advocate as his junior for conducting the following cases on behalf of the Government of National Capital Territory of Delhi, made *vide* this Government's notification of even number dated 6-1-2006 with immediate effect :

1. Case FIR No. 88 dated 4-4-2002 under Section 387/506/120-B/201 IPC read with 3(ii), 3(iv) MCOC Act, 1999 PS Greater Kailash, Delhi (investigated by Special Cell),
2. Case FIR No. 39 dated 26-7-2002 under Section 387/506/120-B IPC PS Special Cell, Delhi, and
3. Case FIR No. 850 dated 3-11-1998 under Section 120-B IPC read with 384 IPC, PS Hauz Khas, New Delhi (Crime Branch).

सं. फा. 25/23/2000/गृ. पु.-II/2076.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 469 तथा नई दिल्ली नगर परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 375 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, निम्नलिखित सेवानिवृत्त अधिकारियों को जिन्हें दिल्ली के उच्च न्यायालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 1560/जी-8/राजपत्र/विशेष एम एम/2007, 20-12-2007 की अधिसूचना संख्या 1561/जी-8/राजपत्र/विशेष एम एम/2007 और 23-9-2008 की अधिसूचना संख्या 389/जी-8/राजपत्र/विशेष एम एम/2008 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 18 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार विशेष महानगर दण्डाधिकारी की समस्त शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, को दिल्ली महानगर क्षेत्र के भीतर दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगर परिषद्, अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अपराधिक मामलों की सुनवाई हेतु उन्हें म्यूनिसिपल दण्डाधिकारी की शक्यिां प्रदान करते हैं। यह शक्तियां तब तक जारी रहेंगी, जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें विशेष महानगर दण्डाधिकारी की शक्तियां प्राप्त हैं :–

1. लेफ्टिनेंट कमांडर (सेवानिवृत्त) शंकर सिंह
2. श्री राम कुमार शर्मा
3. श्री मनोहर लाल रलहन
4. श्री सुभाश चन्द्र
5. स्कवा. लीडर (सेवानिवृत्त) के. एस. ढिल्लो
6. लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) डी. आर. सहगल
7. श्री मोहिन्द्र सिंह मलिक
8. श्री नरेन्द्र सिंह
9. श्री धनी राम भार्मा
10. श्री देवेन्द्र पॉल
11. श्री ठाकुर दास
12. श्री रविदत्त कौशिक
13. श्री शिव कुमार मल्होत्रा
14. श्री नरसिंह सहरावत

15. श्री जावेद असलम
16. श्री बलराम चौपड़ा
17. श्री अशोक कुमार
18. श्री एम. ए. अली
19. श्री एयर कमांडर टी. के. भौला
20. विंग कमांडर आर. एल. सिग्नल
21. विंग कमांडर एस. के. मलिक
22. विंग कमांडर विजय त्यागी

उपरोक्त सभी सेवानिवृत्त अधिकारी म्यूनिसिपल दण्डाधिकारी के रूप में अन्य विशेष महानगर दण्डाधिकारियों की तरह सप्ताह में छः दिन कार्य करेंगे और महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश रहेगा और लघु अपराध (विशेष महानगर दण्डाधिकारी द्वारा विचारण) नियमावली, 1998 में निहित नियमों के अनुसार अवकाश के पात्र रहेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. एन. शर्मा, संयुक्त सचिव

No. F. 25(23)/2000/HP-II/2076.—In exercise of the powers conferred by Section 469 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and Section 375 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon the following retired Government Officers who have been conferred with all powers of Special Metropolitan Magistrate in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) *vide* the High Court of Delhi Notification No. 1560/G-8/Gaz./Spl. MM/2007 dated the 19th December, 2007 and 1561/G-8/Gaz./Spl. MM/2007 dated 20th December, 2007 and 389/G-8/Gaz./Spl MM/2008 dated 23-9-2008, the powers of Municipal Magistrate for the trail of offences under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and the New Delhi Mucicipal Council Act, 1994 within the Metropolitan Area of Delhi for such period as the powers of Special Metropolitan Magistrate conferred upon them by the High Court of Delhi exist:

1. Cdr. (Retd.) Shankar Singh
2. Ram Kumar Sharma
3. Sh. Manohar Lal Ralhan
4. Sh. Subash Chander
5. Sqn. Ldr. (Retd.) K. S. Dhillon
6. Lt. Col. (Retd.) D. R. Sehgal
7. Sh. Mohinder Singh Malik
8. Sh. Narinder Singh
9. Sh. Dhani Ram Sharma
10. Sh. Devender Paul
11. Sh. Thakur Das
12. Sh. Ravi Dutt Kaushik
13. Sh. Shiv Kumar Malhotra
14. Sh. Nar Singh Sehrawat
15. Sh. Javed Aslam
16. Sh. Balram Chopra
17. Sh. Ashok Kumar
18. Sh. M. A. Ali
19. Air Cmdr. T. K. Bhola
20. Wg. Cdr. F. L. Sygnal
21. Wg. Cdr. S. K. Malik
22. Wg. Cdr. Vijay Tyagi.

The aforesaid retired Government Officers as Municipal Magistrates, like other Special Metropolitan Magistrates, would work for six days a week with second Saturday off and would be entitled to leave as per the provisions contained in the Delhi Petty Offences (Trial by Special Metropolitan Magistrate) Rules, 1998.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
R. N. SHARMA, Jt. Secy.

शहरी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 अप्रैल, 2009

सं. फा. 18(ए)/43/श. वि./पार्ट फाइल-1/6487-6500.—दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 (2009 का दिल्ली अधिनियम 1) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं कि निम्नलिखित अधिकारी प्रत्येक अपराध के लिए मात्र 50,000 रुपए (पचास हजार रुपये मात्र) के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन कर सकते हैं :—

क्रम सं.	प्राधिकृत अधिकारी	अधिकार क्षेत्र
1.	समस्त उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट	उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व क्षेत्र का उप-मंडल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
हंस राज, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th April, 2009

No. F. 18(A)/43/2000/UD/Pt. F-I/6487-6500.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Delhi Prevention of Defacement of Property Act, 2007 (Delhi Act 1 of 2009), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby specifies that the following officers may compound any offence punishable under Section 3 of the aforesaid Act for an amount of Rupees Fifty thousand only for each offence :

S.No.	Authorised Officers	Area of Jurisdiction
1.	All Sub-Divisional Magistrates	Sub-division of the Revenue Area under their respective jurisdiction

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
HANS RAJ, Addl. Secy.

Printed by the Manager, India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.